

न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर

पीठासीन अधिकारी

श्री बी.एल.कोठारी

आई.ए.एस
रेस्पोंडेन्ट

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी जालोर

धन्नाराम पुत्र बरजांगाराम
जाति चौधरी निवासी रणोदर
तहसील चितलवाना जिला जालोर
प्रकरण अपील संख्या

23/2017

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का
विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-

- 1-श्री मुमताज अली/रिजवान अली अभिभाषक अपीलान्ट।
2-सुश्री नमिता, प्रवर्तन निरीक्षक, जालोर

निर्णय

दिनांक:-22.01.2018

1. अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रकरण संख्या 55/2017 अनवान सरकार बनाम धन्नाराम उचित मूल्य दुकानदार रणोदर II में दिनांक 30.10.2017 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है।
2. अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को Subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षों की बहस सुनी गई।
3. अपीलांट के अभिभाषक ने व्यक्त किया कि अपीलांट ग्राम रणोदर II तहसील चितलवाना में उचित मूल्य का सामान वितरण का लाईसेन्सधारी था। जिसका माह सितम्बर 2016 में गेहूं का वितरण सही नहीं होना मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्राधिकरण पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने का आदेश देने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। दिनांक 05.06.2017 को ई.ओ.सांचौर ने जिला रसद अधिकारी जालोर को सूचना दी। माह सितम्बर 2016 में अपीलांट द्वारा 204.55 क्विंटल गेहूं वितरण रजिस्टर में बताया गया है जो नियमानुसार वितरण नहीं करना बताकर अनियमितता करना बताकर रिपोर्ट पेश की। जिस पर अदालत मातहत ने अपीलांट का प्राधिकरण पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 05.06.2017 को जारी करते हुए दिनांक 23.06.2017 को प्रकरण दर्ज किया। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 11.07.2017 को अपना स्पष्टीकरण पेश किया लेकिन आगे बिना जांच किये आदेश जैर अपील दिनांक 30.10.2017 पारित करने में कानूनी व वाक्याती गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 11.07.2017 में आदेश दिया था कि ई.ओ. सांचौर डिलर के माह सितम्बर 2016 से जून 2017 तक के नक्शों की ऑनलाईन वितरण से मिलान की जांच करे। लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं की गई तथा इस संबंध में ई.ओ. के बयान भी नहीं लिये जो प्रक्रिया की त्रुटि है। फिर भी आदेश जैर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी व वाक्याती गलती की है। अपीलांट ने दिनांक 11.07.2017 को जबाब पेश किया फिर भी आर्डरशीट में जबाब रिकॉर्ड पर नहीं लिया तथा जबाब के तथ्यों पर शाहदत सबूत लिये बगैर तथा जांच किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी व वाक्याती गलती की है। ई.ओ. सांचौर ने वितरण रजिस्टर सीज नहीं किया तथा गेहूं मौजूद का तोल नहीं करवाया तथा राशनकार्ड धारक को वितरण किया या नहीं इस संबंध में उनके बयान नहीं लिये। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र ई.ओ. की रिपोर्ट पर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाक्याती गलती की है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी 21.11.2017 नकल प्राप्त होने पर हुई और नकल प्राप्त के 1 दिन का समय बाद देते हुये नकल प्राप्त करने के पश्चात 01.12.2017 को अपील पेश की। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

sd-

4. प्रवर्तन निरीक्षक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट डीलर द्वारा पोस मशीन के माध्यम से वितरण किया जाना था जो नहीं किया गया। डीलर द्वारा वक्त जांच केरोसीन व चीनी की आमद सूचना पेश नहीं किया जाना व माह सितम्बर 2016 से मई 2017 तक मासिक मानचित्र पेश नहीं किया साथ ही वक्त जांच सितम्बर 2016 से नवम्बर 2016 तक कुल 204.58 क्विंटल गेहूँ का वितरण रजिस्टर से करना पाया जाने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। डीलर को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील न्याय हित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण डीलर द्वारा अनियमितता बरतने पर दर्ज कर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 11.07.2017 को जवाब पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विभागीय निर्देशानुसार पोस मशीन से वितरण नहीं करना व वक्त जांच में केरोसीन एवं चीनी की आमद सूचना पेश नहीं करना व माह सितम्बर 2016 से मई 2017 तक मासिक मानचित्र पेश नहीं करना तथा वक्त जांच सितम्बर 2016 से नवम्बर 2016 तक कुल 204.58 क्विंटल गेहूँ का वितरण रजिस्टर से करना पाया जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन आदेश 1976 के प्रावधानों के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर डीलर का प्राधिकार पत्र व प्रति भूति राशि जप्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधीवत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता होना नहीं पाए जाने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती है तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 22.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर,
जालोर